

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना संख्या 18/न्याय-08-21/2008.1469

राँची, दिनांक 04/09/10

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (ए) में निहित प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य संचरण यूटिलिटी एवं लाईसेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अवधि विस्तार, दिनांक 30.09.2010 तक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार तत्कालिक प्रभाव से झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :-

1. श्री शिव बसंत	सदस्य (प्रशासन)
2. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य
3. सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
4. श्री अभय कुमार सिंह	सदस्य (वित्त)
5. श्री चन्द्रशेखर गुप्ता	सदस्य (तकनीकी)
6. श्री के०एन० ठाकुर	सदस्य (वितरण)

(क) श्री शिव बसंत सदस्य प्रशासन के साथ-साथ अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त एवं पदस्थापित किये जाते हैं।

(ख) उक्त नियुक्तियाँ अगले आदेश तक की जाती हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव

राँची, दिनांक .....

ज्ञापांक .....

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

राँची, दिनांक 04/09/10

ज्ञापांक 1461

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (ऊर्जा), झारखण्ड/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत निगम/ आयुक्त, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/ प्रबन्ध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड/ मुख्य अभियन्ता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग/ निदेशक, जेडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव